पत्रांक–1/ब0 1–11/2026–215/

बिहार सरकार

कला एवं संस्कृति विभाग

प्रेषक,

महमूद आलम,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)
कला एवं संस्कृति विभाग,
बिहार, पटना।

पटना दिनांक 28/10/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम अंतर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

स्वीकृत्यादेश संख्या 523 दिनांक 15.10.2026 के आलोक में कलाकार कल्याण कोष योजना के तहत कलाकारों को विभिन्न प्रयोजन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–08 के अधीन राज्य स्कीम बजट शीर्ष 2205–कला एवं संस्कृति–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–0101–कला और संस्कृति का संवर्द्धन, विपत्र कोड 08–2205001020101 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 3106–सहायक अनुदान–गैर वेतन में तत्काल कुल राशि ₹ 5,63,367/–(पांच लाख तिरसठ हजार तीन सौ सड़सठ रूपये) मात्र का आवंटन निम्नांकित रूप से आपके निस्ताराधीन व्यय के लिए सौंपा जाता हैः–

विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन	तत्काल आवंटन	कुल आवंटन
3106–सहायक अनुदान–गैर वेतन	₹ 1,74,71,153	₹ 5,63,367	₹ 1,80,34,520
योग–	₹ 1,74,71,153	₹ 5,63,367	₹ 1,80,34,520

तत्काल आवंटित राशि ₹ 5,63,367/–(पांच लाख तिरसठ हजार तीन सौ सड़सठ रूपये) मात्र।

2 यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं 236/वि0, दि0 09.03.2026 एवं 314/वि0 दिनांक 01.04.2026 के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अधिसीमा 65 प्रतिशत के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

3 राशि की निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार लोक निर्माण संहिता एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्पों, पत्रों के आलोक में किया जायेगा।

4 वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–12888 दि0 03.12.2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में राशि की स्वीकृति दी गई है।

5 प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

28/10/26

(महमूद आलम)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 215/ पटना, दिनांक 28.10./2026

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10/26

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 215/ पटना, दिनांक 28.10./2026

प्रतिलिपि :– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय/लेखा शाखा/आई0 टी0 मैनेजर, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10/26

सरकार के संयुक्त सचिव।